राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 403/2016

डॉ. देवकांत शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
2. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, जयपुर–302005
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, जयपुर–302005
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.03.2016
आदेश की दिनांक : 03.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अरूण शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की आवश्यक अस्थायी प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.11.2001 जो नियमित चयन से पूर्व दिनांक 26.09.2008 स्क्रीनिंग पश्चात् से राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 के प्रकाश में सेवा की गणना की जावे तथा नियमित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.11.2001 से 26.09.2008 तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 29 व नियम 30 एवं उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदान किया जावे और 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत जो वेतन बढाया जाता है, परंतु नियमित नियुक्ति के समय उक्त वेतन वृद्धि को कम कर दिया गया, उसे भी दिये जाने के आदेश फरमाये जावें और नियमित सेवा में 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ भी प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.11.2001 से गणना करते हुये प्रदान किया जावे तथा शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश भी फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी की अत्यावश्यक भर्ती निकाली गई, जिसमें अपीलार्थी ने आवेदन किया और चयनित प्रक्रिया के आधार पर अपीलार्थी का आदेश दिनांक 01.11.2001 को आवश्यक अस्थायी आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन हुआ। उसे कार्यग्रहण तिथी 31.03.2002 तक अथवा आरपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिये समेकित वेतन रूपये 8000/– प्रति माह पर की गई। उक्त नियुक्ति पूर्व में 5 माह के लिये और बाद में 6 माह के लिये अपीलार्थी की सेवायें और बढा दी गई। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.01.2003 जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के वेतन 2 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत एवं प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढाने का उल्लेख किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.05.2004 के द्वारा 15 आकस्मिक अवकाश एवं यात्रा भत्ता भी प्रदान किया गया और समय–समय पर अपीलार्थी की सेवाओं की अवधि को आगे बढाया गया और इस प्रकार अपीलार्थी की सेवा बिना रूकावट के निरंतर चलती रही और तत्पश्चात् अपीलार्थी पी.जी. कोर्स 2005 में चयनित हुआ और अपीलार्थी द्वारा उक्त कोर्स किया गया। उक्त कोर्स करते समय अपीलार्थी को वेतन दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 24.06.2006 को पी.जी. कोर्स ज्वाइन किया तथा सीएमएचओ नोहर, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 20.05.2008 को प्रमाण पत्र जारी किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी निरंतर प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवायें देता रहा। उनका कथन है कि नियम 20 के तहत चयन समिति गठित की गई और सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया अपनाते हुये राजस्थान ग्रामीण एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2008 के अंतर्गत मेरिट आधार पर अभ्यर्थी चयन किये गये, जिसमें अपीलार्थी का भी चयन वेतन श्रृंखला 8000–275–13500 में 2 वर्ष की परिवीक्षा काल के लिये हुआ। अपीलार्थी ने दिनांक 01.10.2008 को अपना कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसे कार्यव्यवस्थार्थ हेतु लगाते हुये अपीलार्थी ने दिनांक 25.07.2009 को कार्यमुक्त किया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर सेवायें दी गई। परंतु नियमित चयन सेवा में अपीलार्थी की पूर्व की सेवा की अवधि को नहीं जोडा गया, जो नियम विरूद्ध है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3876/1990 एवं अपील संख्या 02/1994 मुकेश कुमार वाष्णेय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.11.1994 तथा परिपत्र दिनांक 05.01.1996 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9583/2008 डॉ. प्रेम सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.02.2014 की ओर अधिकरण का ध्यान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आकर्षित किया और कथन किया है कि उक्त न्यायिक विनिश्चयों के आधार पर अपीलार्थी भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा उसकी पूर्व की सेवाओं को नियमित सेवा में नहीं जोडा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 15.01.2015 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की आवश्यक अस्थायी प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.11.2001 जो नियमित चयन से पूर्व दिनांक 26.09.2008 स्क्रीनिंग पश्चात् से राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 के प्रकाश में सेवा की गणना की जावे तथा नियमित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.11.2001 से 26.09.2008 तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 29 व नियम 30 एवं उक्त नियमों के अंतर्गत प्रदान किया जावे और 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत जो वेतन बढाया जाता है, परंतु नियमित नियुक्ति के समय उक्त वेतन वृद्धि को कम कर दिया गया, उसे भी दिये जाने के आदेश फरमाये जावें और नियमित सेवा में 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ भी प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.11.2001 से गणना करते हुये प्रदान किया जावे तथा शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश भी फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति संविदा/समेकित वेतन चिकित्सक पर होने के कारण अध्ययन अवकाश देय नहीं था और समेकित वेतन की दर से भुगतान किया गया। अपीलार्थी को विभागीय आदेश द्वारा स्क्रीनिंग कर नियमित एसीपी दिनांक 15.09.2008 से दिये गये। जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम सरकार व अन्य में यह निर्णित किया गया है कि कर्मचारी को नियमित

नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान देय होगा। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी की अत्यावश्यक भर्ती निकाली गई, जिसमें अपीलार्थी का आदेश दिनांक 01.11.2001 को आवश्यक अस्थायी आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 31.03.2002 तक अथवा आरपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिये समेकित वेतन रूपये 8000/– प्रति माह चयन हुआ। उसे उक्त नियुक्ति पूर्व में 5 माह के लिये और बाद में 6 माह के लिये अपीलार्थी की सेवायें और बढा दी गई। समय–समय पर अपीलार्थी की सेवाओं की अवधि को आगे बढाया गया उक्त सेवा के दौरान अपीलार्थी पी.जी. कोर्स 2005 में चयनित हुआ और अपीलार्थी द्वारा उक्त कोर्स किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी निरंतर प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवायें देता रहा। नियम 20 के तहत चयन समिति गठित की गई और सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया अपनाते हुये राजस्थान ग्रामीण एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2008 के अंतर्गत मेरिट आधार पर अभ्यर्थी चयन किये गये, जिसमें अपीलार्थी का भी चयन वेतन श्रृंखला 8000–275–13500 में 2 वर्ष की परिवीक्षा काल के लिये हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर सेवायें दी गई। परंतु नियमित चयन सेवा में अपीलार्थी की पूर्व की सेवा की अवधि को नहीं जोडा गया। जहां तक अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.11.2001 से नियमित चयन उपरांत तक की अवधि को नियमित सेवा में नहीं जोडे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि जगदीश नारायण चतुर्वेदी वाले मामले में नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय किया गया है। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति समेकित वेतन पर 5 माह के लिये और तत्पश्चात् 6 माह के लिये और सेवायें बढ़ा दी गई, तदुपरांत अपीलार्थी का चयन प्रक्रिया आधार पर नियमित सेवा में चयन हुआ। परंतु अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये दिया गया है। जबकि प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित आधारों का उल्लेख करते हुये

प्रत्यर्थी विभाग को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित आदेशों को ध्यान में रखते हुये तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य